न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः– श्री अखिलेश कुमार पिपल आर.ए.एस.

अपील संख्याः–60/2022 (GCMS No. 2022/62) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. गंगादेवी पत्नी मुन्शी सिंह
2. संतोष पुत्र अलवेल सिंह
3. लक्ष्मी देवी पत्नी शिवसिंह

} जातिगण जाट निवासी खेडा तहसील व जिला धौलपुर।

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. भगवानदेवी पत्नी दाताराम
2. गिरीश कुमार पुत्र दाताराम
3. राजकुमार पुत्र दाताराम
4. शीलादेवी पुत्री दाताराम
5. विमला देवी उर्फ बैबी पुत्री दाताराम
6. मिथलेश उर्फ रीना पुत्री दाताराम
7. नीलम पत्नी रामसेवक
8. आकाश पुत्र रामसेवक
9. शुभम पुत्र रामसेवक
10. स्नेहा पुत्री रामसेवक

} जाति वैश्य निवासी सरानीखेडा तहसील व जिला धौलपुर।

11. सरपंच ग्राम पंचायत सरानी खेडा पंचायत समिति धौलपुर।

.....रैस्पोडैन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय 27.12.2021 उपखण्ड अधिकारी धौलपुर प्रकरण संख्या 13/2021 उनवानी भगवानदेवी वगै. बनाम ग्राम पंचायत सरानी।

उपस्थितिः–

1. श्री सुरेश कटारा, वकील अपीलान्ट
2. श्री गजेन्द्रसिंह राना वकील अपीलान्ट
3. श्री हरवीर सिंह, वकील रेस्पोडैन्ट

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

नि र्ण य

दिनांक : 14.07.2023

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के आदेश दिनांक 27.12.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि आराजी ख.नं 2707 रकवा 2 बीघा 3 विस्वा वांके ग्राम खेडा में रेस्पो. सं. 1 लगा. 10 समस्त 7/14 भाग, महावीर प्रसाद 1/4 भाग, अनिल कुमार रमेशचंद पिसरान शंकरलाल 1/4 भाग के खातेदार काश्तकार थे। उन्होने सम्पूर्ण आराजी में अपने खातेदारी अधिकार जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 17.08.2016 को अपीलान्ट संख्या संख्या 3 को विक्रय कर दिये तथा मौके पर कब्जा प्रदान कर दिया जिसका नामांतरकरण संख्या 757 ग्राम खेडा दिनांक 05.07.2016 स्वीकार किया गया। आराजी ख.नं. नम्बर 2708 रकवा 12 विस्वा ग्राम खेडा रेस्पो. सं. 1 लगा. 10 के सम्पूर्ण खातेदार काश्ताकार एवं ख.सं. 2754 रकवा 4 बीघा 5 विस्वा में 1/2 भाग के खातेदार काश्तकार थे तथा महावीर पुत्र शंकरलाल एवं अनिल कुमार रमेशचंद पिसरान हरिविलास 1/4 व 1/4 के खातेदार थे। दोनो के खातेदारी अधिकारी सम्पूर्ण आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.06.2016 को अपीलान्ट को कर दिये तथा कब्जा प्रदान कर दिया जिसका नामांतरकरण संख्या 757 दिनांक 05.07.2016 स्वीकार किया गया। रेस्पो. सं. 1 लगा. 10 की ओर से नामांतरकरण संख्या 747 ग्राम सरानी खेडा दिनांक 04.05.2016 के खिलाफ अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर में प्रस्तुत की गई। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 27.12.2021 को अपील स्वीकार कर नामांतरकरण संख्या 747 दिनांक 04.05.2016 ग्राम सरानी खेडा तहसील धौलपुर निरस्त कर तहसीलदार धौलपुर को निर्देशित किया गया कि उभयपक्ष की उपस्थिति में पूर्ण जॉचकर पुनः नामांतरकरण की कार्यवाही करें। तहसीलदार धौलपुर ने नामांतरकरण संख्या 747 में अंकित अन्य खसरा नम्बर 1995, 2026, 2027, 2028, 2035, 2265, 2637, 2638 तथा 2299 वांके ग्राम खेडा में दाताराम के हिस्से में दर्ज भूमि का नामांतरकरण उनके वारिसान रेस्पो. संख्या 1 लगा. 10 के नाम दर्ज करने के आदेश दिनांक 11.03.2022 को तहसीलदार धौलपुर ने पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के आदेश दिनांक 27.12.2021 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडैन्टगण व तहत न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

2. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य हैं। आराजी ख.नं. 2707 रकवा 2 बीघा 3 विस्वा वांके ग्राम खेडा जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 1706.2016 का रेस्पो. संख्या 1 लगा. 10 अपीलान्ट को विक्रय कर चुके थे जिसका नामांतरकरण सख्या 756 दिनांक 05.07.2016 को स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज हो चुका था तो अपील में पक्षकार बनाना आवश्यक था क्योंकि अपीलान्ट संख्या 3 को रेस्पो. संख्या 1 लगा. 10 ने ही विक्रय कर कब्जा दिया गया। न्यायालय अधीनस्थ से छल करके आदेश प्राप्त किये हैं। आराजी ख.सं. 2708 रकवा 12 विस्वा वांके ग्राम खेडा के रेस्पो. सं. 1 लगा. 10 सम्पूर्ण भाग के खातेदार काश्तकार थे तथा अपना हिस्सा रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 17.06.2016 अपीलान्ट को विक्रय किया और मौके पर कब्जा प्रदान किया। जिसका नामांतरकरण संख्या 757 ग्राम खेडा स्वीकार किया। आराजी ख.सं. 2754 रकवा 4 बीघा 5 विस्वा वांके ग्राम खेडा रेस्पो. सं. 1 लगा. 10 हिस्सा 1/2 भाग एवं महावीर प्रसाद पुत्र शंकरलाल हिस्सा 1/4 भाग, तथा अनिल कुमार, रमेशचंद पिसरान हरिविलास कौम वैश्य 1/4 भाग खातेदार थे। रेस्पो. सं. 1 लगा. 10 एवं महावीर प्रसाद के 1/4 भाग, अनिल कुमार रमेशचंद पिसरान हरिविलास ने हिस्सा 1/4 भाग जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 17.06.2016 को अपीलान्ट को विक्रय कर दिया तथा मौके पर कब्जा प्रदान कर दिया और नामांतरकरण संख्या 757 दिनांक 05.07.2016 स्वीकार होकर राजस्व रिकार्ड में अंकन हो गया। अपीलान्ट आराजी ख. सं. 2707, 2708, 2754 वांके ग्राम खेडा के खातेदार काश्तकार थे तो अपील के लिए आवश्यक व उचित पक्षकार थे न तो अपील में पक्षकार बनाया गया और न सुनवाई का मौका दिया गया। तहसीलदार ने कोई मौका नहीं देखा गया। अपीलान्ट के नाम के स्थान पर नामांतरकरण भगवानदेवी के नाम खोल दिया। समस्त कार्यवाही अपीलान्ट की वैक पर की गई है। किसी व्यक्ति को उक्त सम्पत्ति विधि के प्राधिकार से वंचित किया जावेगा अथवा नही न्यायालय का कर्तव्य है कि वह देखे कि न्यायालय की गलती से किसी को क्षति पहुँची है तो पुनः उसी स्थिति में करें। न्यायालय की गलती से एवं गलत कार्यवाही से किसी व्यक्ति को दण्डित नहीं किया जावेगा। अपीलान्ट को सुनवाई का मौका देकर निस्तारण हेतु रिमाण्ड किया जावे। अपीलान्ट को आदेश का ज्ञान सर्व प्रथम रेस्पो. संख्या 2 ने दिनांक 01.04.2022 को बताया कि मैने नामांतरकरण की अपील करके आपकी बिना जानकारी के नामांतरकरण का पुनः आदेश करवा लिया है जिसमें तुम्हारा हिस्सा की आरजी को तुम्हारे नाम करा दूँगा। अपीलान्ट ग्रामीण अशिक्षित किसान व्यक्ति है। दिनांक 11.03.2022 को पुनः

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

तहसीलदार धौलपुर से अपने नाम करा लिया लेकिन इन्द्राज दुरूस्ती नहीं करायी तथा दिनांक 20.05.2022 को मना कर दिया। अपील में हुई देरी को क्षमा किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि देरी को माफ किया जावे तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 21.12.2021 को निरस्त किया जावे। अपील के समर्थन में अपीलान्ट द्वारा न्यायिक नजीर आरआरसी 1999 पेज 291, आरआरसी 1999 पेज 292 पेश की।

4. वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा कथन किया कि दाताराम के नाम जमीन थी जिसका दानपत्र दाताराम के द्वारा विद्यालय के नाम किया गया परन्तु नामांतरकरण दाताराम के वारिसान के नाम हो गया। विद्यालय के नाम जमीन न होने के कारण सबसिडी (सहायता) रूक गई। इसलिए नामांतरकरण को निरस्त कराया गया। बेचान किये गये खसरा संख्या पर पुनः नामांतरकरण अपीलान्ट को हो जाये तो रेस्पोडट्स को कोई आपत्ति नहीं है। इस संबंध में सहमति प्रदान की गई।

5. बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। माननीय न्यायालय की न्यायिक नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा संख्या 2707, 2708 एवं 2754 ग्राम वांके खेडा पर अपीलान्ट जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 17.06.2016 से काबिज काश्त चले आ रहे हैं, जो अपील में प्रभावित पक्षकार की श्रेणी में आते हैं। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रभावित पक्षकार होने के नाते उनके द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी. सी. मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति चाही गई है। न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार करते हुय अनुमति प्रदान की जाती है। अपीलान्ट द्वारा अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 27.12.2021 के विरूद्ध दिनांक 30.05.2022 को न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है। बिलम्ब के संबंध में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। चूँकि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट पक्षकार नहीं थे। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुये बिलम्ब को क्षमा करने के पर्याप्त आधार हैं। अतः अपील में हुये बिलम्ब को कन्डोन किया जाता है। दौराने बहस रेस्पोडैन्ट्स की ओर से यह सहमति दी गई कि विक्रय किये गये खसरा नम्बरान पर अपीलान्ट के नाम नामांतरकरण की कार्यवाही की जाती है तो उनको कोई आपत्ति नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व रेस्पोडैन्टगण की सहमति के आधार पर न्यायालय के मत में अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

6. अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.12.2021 अपीलान्ट के क्रयशुदा आरांजी पर अपीलान्ट के हिस्से तक निरस्त किया जाता है। शेष आदेश बदस्तूर रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.07.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14.07.2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर